

अगरसिंह / हरचन्द - 58/24

दिनांक	आज्ञा पत्र	
8/10/24	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से सेट्टी के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलान्त ने रैस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सारे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर रकम से कम होकर बाद तुरतीव तकमील दाखिल दफ्तर हो। <i>dy</i></p> <p>गुणचन्द अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प झंझान)</p>	